

राजस्थान-सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)  
(E mail :DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN, Tel. 2227033)

क्रमांक: एफ 61(197) SSAAT / लोकपाल नियुक्ति /2021-2022/१०९३

जयपुर, दिनांक  
29/08/2022

आदेश

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के क्रियान्वयन से संबंधित जन अभाव अभियोग निराकरण के लिए लोकपाल नियोजन हेतु, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 23/12/2021 में उल्लेखित राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा पर निम्नांकित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने अंकित जिले के लिए, कार्य ग्रहण करने की तिथि से निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन लोकपाल नियुक्ति किया जाता है:-

क्र.सं.	जिला	लोकपाल का नाम एवं पता	जन्मतिथि
1.	श्रीगंगानगर	अनिल कुमार पुत्र श्री नन्दलाल धानुका, हर्ष कॉन्वेन्ट स्कूल के सामने, विवेकानन्द नगर, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर	30.06.1971
2.	भीलवाड़ा	रूपलाल शर्मा पुत्र श्री स्व. बद्रीलाल शर्मा, 120 डी- आर.के.कॉलोनी भीलवाड़ा	12.10.1957
3.	राजसमन्द	शिवराज शर्मा पुत्र श्री स्व बद्रीलाल शर्मा, जी सी -15, न्यू बापूनगर भीलवाड़ा	01.07.1957
4.	जैसलमेर	योगेश पुरोहित पुत्र मदनलाल ब्राहमणों का वास, ग्राम काहला जैसलमेर	01.10.1979

शर्त :-

- इन चयनित व्यक्तियों को उनके नाम के पहले अंकित जिलों के लिए लोकपाल पद पर नियुक्ति, ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित लोकपाल दिशा निर्देश दिनांक 23/12/2021 के बिन्दु संख्या 2.2.10 में उल्लेखित समयावधि दो वर्ष, अथवा चयनित के 68 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले होगी, के लिए की जाती है। उक्त समयावधि सर्वप्रथम एक साल के लिए होगी जिसे प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकेगा।
- उक्त चयनित व्यक्तियों की नियुक्ति, ग्रामीण विकास मंत्रालय के लोकपाल के संशोधित दिशा निर्देश दिनांक 23.12.2021 में उल्लेखित शर्तों एवं राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अध्याधीन होगी।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 23.12.2021 के बिन्दु संख्या 2.2.13 के अनुसार राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा पर लोकपाल को राज्य सरकार द्वारा हटाया जा सकेगा।
- चयनित व्यक्तियों को अपनी उपस्थिति, आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस को देकर अपनी कार्य ग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवायें।
- चयनित व्यक्तियों से आशा की जाती है कि अपना कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व भारत सरकार द्वारा जारी लोकपाल दिशा निर्देश दिनांक 23.12.2021 अध्याय 3 के अनुरूप निभायेंगे।

(मंजू राजपाल, IAS)  
शासन सचिव,  
ग्रामीण विकास विभाग,  
राजस्थान

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

31. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान।
  32. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
  33. निजी सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान।
  34. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और भू-जल विभाग, राजस्थान।
  35. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव खान, पेट्रोलियम एवं उर्जा विभाग, राजस्थान।
  36. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, ( महात्मा गांधी नरेगा ) ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार कृषि भवन नई दिल्ली।
  37. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
  38. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव खान, पेट्रोलियम एवं उर्जा विभाग, राजस्थान।
  39. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री।
  40. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग।
  41. निजी सचिव, आयुक्त EGS, जयपुर।
  42. निजी सचिव, निदेशक, महात्मा गांधी नरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार कृषि भवन नई दिल्ली।
  43. सहायक लेखाधिकारी, प्रथम/द्वितीय (समस्त)
  44. प्रोग्रामर,/ सूचना सहायक (SSAAT) को पालनार्थ।
  45. रक्षित पत्रावली।
- प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- सम्भागीय आयुक्त, जयपुर,, भरतपुर, बीकानेर जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, एवं कोटा।
- संबंधित जिला कलेक्टर जिला कार्यक्रम समन्वय ईजीएस, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, राजसमन्द।
- संबंधित अतिरिक्त जिला कलेक्टर जिला कार्यक्रम समन्वय ईजीएस, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, राजसमन्द।



(संदीप चौहान)

निदेशक

सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही  
एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)